



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा महासमुन्द वन मंडल के अंतर्गत 220/132 के. व्ही उपकेन्द्र परसवानी से 132/ 25 के. व्ही रेलवे कर्षण उपकेन्द्र महासमुन्द तक 132 के. व्ही लाईन निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक 67 के 2.37 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 01/08/2017

स्थान: रायपुर

(आर. क. टम्टा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़